न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील 59/2024

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. देवाराम पुत्र श्री पोलाराम, जाति विश्नोई,निवासीधोलिया, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।		1. हरूराम पुत्र अमलुराम, 2. उदाराम पुत्र पोलाराम, 3. सायरी पत्नी स्व0 बगताराम, 4. ओमप्रकाश पुत्र भाखरराम, 5. नाथूराम पुत्र भाखरराम, जातियान् विश्नोई, निवासीगण धोलिया, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर, 6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.05.2019उपखण्ड अधिकारी, पोकरणके द्वारा पारित किया गया

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता, अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री मोहनराम सुथार, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या एक की ओर से।
3. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से
4. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद तामीली के अनुपस्थित।

:निर्णय

दिनांकः 29.01.2025

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एकने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पेश करते हुए निवेदन किया कि उनकी खातेदारी के खेत खसरा संख्या 152 रकबा 19.02 बीघा, ख0सं0 152/1 रकबा 19.01 बीघा एवं ख0सं0 154/1 रकबा 11.17 बीघाभूमि ग्राम नवातला में स्थित है,जिसकी पैमाइश दिनांक 16.6.2017 को करवाई गई,

संभागीय आयुक्त

जिसमें पडौसी खातेदारान को सीमा की जानकारी करवा दी गई परन्तु पडौसी खातेदारान को बार–बार सीमाज्ञान करवाने के बावजूद भी कब्जा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न करते रहे है। अतः रेस्पो0 संख्या एक के उक्त खसरान की भूमि की पत्थरगढी करवाई जाने का आदेश दिया जावें जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2019 को पारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.06.2024 को पेश की है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार यह अभिकथन किया किअधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। मौके पर पत्थरगढी व सीमांकन हेतु अपीलार्थी को बेदखल करने की धमकी रेस्पोडेन्ट द्वारा दी गई और बताया कि उनके द्वारा पत्थरगढी का आदेश करवा लिया है जिस पर अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 24.6.2024 को आदेश की नकले प्राप्त करते हुए यह अपील न्यायालय में पेश की है। अतः अपीलार्थी को आदेश की जानकारी होने की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है, अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार नहीं किये जाने का निवेदन किया गया।

मियाद प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकरान के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस सुनने के उपरान्त न्यायहित में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह कथन किया किअपीलार्थी व अय प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये जो नोटिस सम्यक रूप से तामिल करवाये बिना ही तथा आदेशिका में तामील के बारे में नहीं लिखते हुए एकतरफा कार्यवाही करके प्रत्यर्थी की एकतरफा बहस सुनते हुए आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया जो धारा 111, 128 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है, जो अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधि के सिद्धान्त की कि राजस्व नक्शे के अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है, इसके बावजूद भीराजस्व नक्शे के अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश पारित नहीं किया गया है। इस कारण भी आलौच्य आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।पत्थरगढी आदेश की आड़ में कब्जे में परिवर्तन नही किया जा सकता है जबकि रेस्पोडेण्ट् संख्या एक कब्जे में परिवर्तन करना चाहते है। इस कारण भी आलौच्य आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता नेआगे यह कथन भीकिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश बिना तरमीम के ही पारित किया गया है जबकि पक्षकारान् के द्वारा दिनांक 26.04.2017 को पैमाईश का आदेश करवाने पर दिनांक 16.06.2017 को पैमाईश की गई, तत्पश्चात् दिनांक26.07.2018 को पुनः पैमाईश की गई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि मौके पर कब्जे को लेकर विवाद है, न किमांठ को लेकर विवाद है।इस कारण से भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2019 को अपास्त किया जावें।

प्रत्युततर में रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही अन्तिम बहस माने जाने का कथन किया गया। रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने बहस में यह अंकित किया है कि अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी अर्थात अपीलाधीन आदेश दिनाक 14.05.2019 का था, के 4 वर्ष के पश्चात अपील पेश की गई है, देरी से पेश करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। अपीलार्थी के द्वारा विलम्ब का सरकारी या प्राईवेट विभाग का कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया। इस कारण अपील को अस्वीकार करते हुये अपील खारिज करने का आदेश फरमावे।

रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस में यह भी अंकित किया है किअधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीन बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी अपीलान्ट देवाराम हस्ताक्षर करने हेतु नहीं आया और नोटिस लेने से इन्कार करता रहा है। रेस्पोडेन्ट हरुराम के द्वारा दिनांक 10.02.2023पत्थरगढी की मौका फर्द में नाथुराम, श्रवणकुमार, बनवारी, सायरी देवी इन सभी के हस्ताक्षर हुए है, अपीलार्थी द्वारा सीमांकन को अस्वीकार करने व पुलिस इमदाद की उपस्थिति के अभाव में विवाद की सम्भावना को देखते हुए देरी करने व रेस्पोडेण्ट्स को तंग परेशान करने हेतु यह अपील पेश की है जो खारिज करने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अंकित किया है कि रेस्पोडेण्ट की भूमि खसरा सं 154/1 ग्राम नवातला की रकबा 11.07 बीघा भूमि है जबकि देवाराम द्वारा 1.17 बीघा भूमि बताई गई है, जो कि गलत बताई गई है, अपीलान्ट को इसकी पूर्ण जानकारी नही है। इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा जो ख0सं0 152/1 बताया गया है, उसमें भी रेस्पोडेन्ट का कोई विवाद नहीं है, ख0सं0 154/1 की भूमि, जो एन0एच0 संख्या 11 पर आई हुई है, जिसके कारण अपीलान्ट भूमि मंहगी होने के कारण रेस्पो0 संख्या एक से विवाद रखता है क्योंकि उक्त खसरे के पास में अपीलान्ट की पक्की दुकाने बनी हुई है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य केवल माठ का विवाद है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व नक्शे के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2019 को यथावत रखा जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन व चिन्तन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता सेबगौर अवलोकन किया गया,जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट

समागाय आयुक्त

के द्वारा अपनी अपील में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में मुख्य आपत्ति यह की गई है कि अपीलाधीन प्रकरण में उनको नोटिस तामील नहीं करवाये गये और सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व नक्शे के अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश पारित नहीं किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा ग्राम नवातला में स्थित भूमि खसरा संख्या 152 रकबा 19.02 बीघा, ख0सं0 152/1 रकबा 19.01 बीघा एवं ख0सं0 154/1 रकबा 11.17 बीघा भूमि की पत्थरगढी करवाई जाने हेतु आवेदन किया गया था तथा वर्तमान अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 2 ता 5 को अप्रार्थी पक्षकार अवश्य बनाया गया है,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह कही प्रकट नहीं होता है कि उनको सुनवाई हेतु जारी किये गये नोटिसेस तामील करवाये गये हो और सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हो, जबकि अपीलान्ट रेस्पो0 संख्या एक की उक्त भूमि का पडौसी खातेदार है, अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विती से उनकी भूमि की सीमाएं भी प्रभावित होंगी। प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के तहत प्रभावित पक्षकारान/खातेदारान को अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभय पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2019 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रेस्पो0 संख्या एक के उल्लेखित खसरानम्बरान की भूमि के बाबत प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त एवं उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे। निर्णय आज दिनांक 29 जनवरी, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर